कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर(छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/333 A/अ.जि.द./एस. डब्ल्यू./2022 रायपुर, दिनांक 31/01/2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 33 दिनांक 05 जनवरी 2022 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर में आम जनता के सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

अधिरोपित प्रतिबंधों की समीक्षा उपरांत उपरोक्त आदेश क्रमांक 33 दिनांक 05.01.2022 की कंडिका 09 में आंशिक संशोधन करते हुये एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के द्वारा कोविड के दोनो डोज के टिकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है। उपरोक्त आदेशों की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/333 A/अ.जि.द./एस. डब्ल्यू./2022 रायपुर, दिनांक 31/01/2022

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह(पुलिस)विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/आरंग/अभनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. .... समस्त आम जनता, जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Office of the District Magistrate • RAIPUR (C.G.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर